बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक–श्री०स०सी०-1 स्था-07/19-20 1841 (भ)

प्रेषक,

अमित कुमार, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन कार्य प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक– 28/2/2020

विषय :– वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु कार्य प्रमण्डलों में अव्यवहृत राशि की समीक्षा कर शीघ्र प्रत्यर्पण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय अनुशासन एवं बजट उपबंधित राशि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से अपने कार्य प्रमण्डल में विभिन्न बजट शीर्षों में आवंटित राशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की संभावना का सटीक आकलन अविलम्ब कर लिया जाय । यदि आवंटित राशि के व्यय की संभवना ना हो तो इस माह के अंत तक अनिवार्य तौर पर प्रत्यर्पण कर दिया जाय, ताकि किसी अन्य कार्य प्रमंडल को आवश्यकता के आधार पर ससमय आवंटन दिया जा सके ।

विलम्ब से प्रत्यर्पण करने वाले कार्यपालक अभियंताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन,
27/2/20
(अमित कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।